न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, अजमेर

(पीठासीन अधिकारीः—श्री बी0एल0मेहरड़ा, आर0ए0एस0)

अपील संख्याः—350/2018/223 (2018/00350)

1. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार, पीसांगन, जिला अजमेर ।

अपीलांट

बनाम

1. छोगा पुत्र ऊंकार, जाति गुर्जर, निवासी ग्राम गोला, तह0 पीसांगन जिला अजमेर ।

रेस्पोडेंट

अपील अंतर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 विरूद्ध विरूद्ध निर्णय व डिक्री विद्वान उपखण्ड अधिकारी, पीसांगन दिनांक 15.12.2017 अंतर्गत वाद संख्या 61/2015.

उपस्थितः—

1. श्री धर्मवीर चौधरी, राजकीय अधिवक्ता वकील अपीलांट।
2. रेस्पो0 अनुपस्थित ।

निर्णय

दिनांकः— 18.7.2019

1. यह अपील विद्वान उपखण्ड अधिकारी, पीसांगन के निर्णय व डिक्री दिनांक 15.12.2017 के विरूद्ध इस न्यायालय मे प्रस्तुत हुई है ।
2. संक्षेप में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार है कि वादी/रेस्पो0 संख्या 1 ने अधी0न्याया0 में वाद अंतर्गत धारा 88, 188 राज0काश्त0अधि0 1955 के तहत विरूद्ध प्रतिवादी/अपीलांट के पेश कर निवेदन किया कि ग्राम गोला, तहसील पीसांगन मे वादी ने जरिये पंजीयन बैनामा के मूल खातेदार गोपाल मुतबन्ना रामदेव, श्रीमती मुन्नी पुत्री रामदेव व ब्रह्मा पुत्र चनद्रा से वर्किग खसरा संख्या 43 रकबा 1 बीघा आराजी दिनांक 26.10.1999 को क्रय की जिसका नामांतकरण संख्या 118 दिनांक 22.12.1999 को स्वीकृत किया गया । उक्त वर्किग खसरा संख्या 43 के वर्तमान खसरा नंबर 2123 मिन रकबा 0.16 है0 बने है । भू—प्रबंध विभाग ने बिना किसी न्यायालय के आदेश के वर्किग जमाबंदी के इंद्राज को बदलते हुए वर्तमान जमाबंदी में सिवायचक दर्ज कर दी । अतः वादपत्र को स्वीकार कर वादी के पक्ष में वर्किग जमाबंदी के नामांतकरण संख्या 118 दिनांक 22.12.1999 के अनुसार इंद्राज किया जावे तथा वारदी की खरीदशुदा एवं कब्जे काश्त की आराजी किसी प्रकार से दखलदांजी नहीं करने हेतु प्रतिवादी को स्थायी निषेधाज्ञा से पाबंद किया जावे । अधी0न्याया0 ने निर्णय व डिक्री दिनांक 15.12.2017 द्वारा वादी/रेस्पो0 का वाद डिक्री करने के आदेश पारित किये । अधी0न्याया0 के इस निर्णय व डिक्री से असंतुष्ट होकर अपीलांट तहसीलदार, पीसांगन ने यह अपील इस न्यायालय में पेश की है।

3. अपील दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पो0 को तलब किया गया । रेस्पोडेंट बावजूद सूचना के अनुपस्थित । अधी0न्याया0 का रिकार्ड प्राप्त होने के उपरांत प्रकरण में अधिवक्ता अपीलांट की एकपक्षीय बहस सुनी गई।

4. विद्वान वकील अपीलांट ने बहस में अपीलमीमों में उल्लेखित तथ्यों की ताईद करते हुए कथन किया कि वादग्रस्त भूमि खसरा नंबर 2123 मिन रकबा 0.16 है0 वाके मौजा गोला, तह0 पीसांगन की खातेदारी देकर अधी0न्याया0 ने त्रुटि कारित की है ं खसरा नंबर 2123 का रकबा 0.61 है0 है जो कि वर्किंग खसरा नंबर 43 व 44 से मिलकन बने है व पूर्वानुसार सिवायचक राजकीय भूमि होने से भू–प्रबंध विभाग द्वारा नई जमाबंदी बनाते समय नियमानुसार अंतिम चौसाला में सिवायचक होने से वर्तमान रिकार्ड में भी सिवायचक अंकित की गई है । बहस में आगे कथन किया कि अधी0न्याया0 को वादी द्वारा प्रस्तुत मे ंजवाब प्रस्तुत होने पर नियमानुसार तनकी बनाकर उस पर वादी, प्रतिवादी के सबूत साक्ष्य लेकर कानूनन निर्णय पारित करना चाहिये था किन्तु अधी0न्याया0 ने विधिक प्रक्रिया के विपरीत अपीलाधीन निर्णय व डिक्री पारित की है जिससे अधी0न्याया0 का निर्णय निरस्त योग्य है । अतः अपील अपीलांट स्वीकार कर अधी0न्याया0 का निर्णय व डिक्री निरस्त की जावे ।

5. विद्वान वकील अपीलांट ने अपील के साथ प्रार्थना पत्र धारा 5 मियाद अधि0 पेश कर निवेदन किया कि अपीलाधीन वाद संख्या 61/2015 निर्णय दिनांक 15.12.2017 की पालना हेतु वादी द्वारा प्रार्थना पत्र पेश करने पर नियमानुसार पटवारी हल्का से वादग्रस्त भूमि के राजस्व रिकार्ड की प्रतियां प्राप्त कर उस पर नियमानुसार जिला कलक्टर, अजमेर से प्रकरण की संपूर्ण वस्तुस्थिति से वअगत कराते हुए मार्गदर्शन चाहा गया जिस पर दिनांक 23.10.2018 को यह निर्देश प्राप्त हुए कि प्रकरण में राजहित प्रभावित होने से अपील पेश की जावे । तत्पश्चात् अपीलांट ने राजस्व रिकार्ड व निर्णय की प्रमाणित प्रति प्राप्त कर जानकारी से अंदर मियाद यह अपील पेश की है । अतः विलंब माफ किया जाकर अपील अंदर मियाद शुमार की जावे ।

6. हमनें अपीलांट अधिवक्ता की एकपक्षीय बहस पर मनन किया एवं पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजी साक्ष्यों का अवलोकन किया । हम सर्वप्रथम अपीलांट द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र धारा 5 मियाद अधि0 का निस्तारण उचित समझते है । अपीलांट ने विलंब के जो कारण अंकित किये है वे उचित एवं सद्भाविक प्रतीत होते है । अतः विलंब माफ किया जाकर अपील अंदर मियाद शुमार की जाती है ।

7. प्रकरण के गुणावगुण पर पत्रावली का अवलोकन किया गया । पत्रावली के अवलोकन से यह स्पष्ट है कि वादी/रेस्पो0 ने विवादित आराजी जरिये पंजीकृत विक्रय पत्र दिनांक 26.10.1999 को विवादित आराजी के मूल खातेदार गोपाल मुतबन्ना रामदेव, श्रीमती मुन्नी पुत्री रामदेव एवं ब्रह्मा पुत्र चन्द्रा से क्रय की थी तथा उक्त विक्रय पत्र की अनुसरण में अपीलांट के नाम नामांतकरण संख्या 118 दिनांक 22.12.1999 को तस्दीक किया गया है । पत्रावली पर उपलब्ध मिलान क्षैत्रफल से यह भी स्पष्ट है कि साबिक खसरा नंबर 43 रकबा 1 बीधा के नवीन खसरा नंबर 2123 मिन रकबा 0.16 है0 बनना साबित है तथा विवादित आराजी वर्किंग जमाबंदी में वादी/रेस्पो0 के नाम दर्ज भी हो गई थी किन्तु भू–प्रबंध विभाग ने बिना किसी सक्षम न्यायालय के आदेशों एवं बिना किसी हस्तातंरण के विवादित आराजी को सिवायचक दर्ज कर दिया । भू–प्रबंध विभाग ने विवादित आराजी को सिवायचक किस आधार पर दर्ज किया है इस संबंध में कोई ठोस दस्तावेजी साक्ष्य अपीलांट ने पेश नहीं किये है । वादी/रेस्पो0 विवादित आराजी का सद्भाविक क्रेता है जिसने राजस्व रिकार्ड में अंकित खातेदारान से विवादित भूमि क्रय की । अपीलांट अपनी अपील को दस्तावेजी साक्ष्यों से साबित करने में पूर्णतया असफल रहा है।

उपरोक्त विवेचन के क्रम में अधी0न्याया0 द्वारा पारित निर्णय व डिक्री विधिसम्मत् होने से अपील अपीलांट खारिज योग्य तथा अधी0न्याया0 का निर्णय व डिक्री यथावत् रखे जाने योग्य पाया जाता है।

8. अतः अपील अपीलांट खारिज की जाती है तथा विद्वान उपखण्ड अधिकारी, पीसांगन द्वारा पारित निर्णय व उिक्री दिनांक 15.12.2017 को यथावत् रखा जाता है । पत्रावली फैसल शुमार होकर नंबर से कम हो ।

(बी0एल0मेहरड़ा)
राजस्व अपील प्राधिकारी,
अजमेर

9. निर्णय आज दिनांक 18.7.2019 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर सरे इजलास सुनाया गया ।

(बी0एल0मेहरड़ा)
राजस्व अपील प्राधिकारी,
अजमेर